(II)

In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2002, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st March, 2002.

The Deputy Speaker has under article 95(1) of the Constitution certified that this Bill is Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.

I lay a copy each of the Bills on the Table.

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned for half-an-hour.

The House then adjourned at three of the clock.

The House reassembled at thirty-three minutes past three of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair.

The Jute Manufacturers Cess (Amendment) Bill, 2002

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध है। बारह बजे से तीन बजे तक, लगातार तीन घंटे तक हमारे सदन से जो सदस्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, उनकी विदाई में बहुत ही मर्माहट भरे विदाई भाषण लंबे चले। यह अच्छा नहीं लगता कि इसके बाद हम डिसक्शन करें, डिबेट करें। हम सब विदाई के मूड में हैं इसलिए मेरा अनुरोध है और अगर सदन की राय हो तो आज का बिजनेस बिना किसी बहस के पास कर दिया जाए। ऐसा हम लोग इसलिए चाहेंगे क्योंकि विदाई लेने वाले लोगों के सम्मान में समारोह की बात है इसलिए अगर सदन की राय हो तो ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभायक्ष जी, हमारे अनेक सम्मानीय सदस्य इस सदन से रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी विदाई के उपलक्ष्य में जिन भावनाओं का उल्लेख किया गया है, उस संबंध में यह बात सही है कि आज माननीय सदस्यों की मनःस्थिति और काम करने की नहीं है। फिर भी यह आपके विवेक और अधिकार में आता है कि आप इस सदन की सहमति और सम्मति इस विषय पर ले लें और जो सदन सर्वानुमति से राय दे उसके हिसाब से काम करें जहाँ तक हमारा अपना प्रश्न है, हम भी इसी बात के पक्षधर हैं जो आज का लिस्टेड बिजनेस है। लेकिन यदि बगैर किसी चर्चा के पास कर दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम: सब सहमत हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have no objection to this approach, but I want to put it on record that the Parliament is working less and less. Even the Budget is not being discussed. This Parliament is becoming irrelevant. One day, if you close the Parliament, nobody will notice. You may send our pay cheques to our home. Thank you.

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : हमारी पार्टी के लोग उपस्थित नहीं हैं। यदि सर्वानुमति हो तो हम इसके लिए तैयार हैं लेकिन अगर बजट पर चर्चा होती तो हम अपनी बात रखते, तो ठीक होता।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वहाँ विभिन्न दलों के नेतागण बैठ कर जो तय करते हैं, उसी के आधार पर आप कर लें लेकिन इस नाम से कि मैम्बर रिटायर हो रहे हैं कुछ दूसरी तरह का माहौल है, इस बहाने पर, इस नाम पर जो शेष बहस है, उसको नहीं करना, मैं समझता हूँ कि यह जो जा रहे हैं, उनके लिए भी यह अच्छा नहीं है कि उनके नाम पर ऐसा किया गया। रिटायर तो हर दो साल में होते रहते हैं, मैम्बर आ रहे हैं, जा रहे हैं, यह सिलसिला चलता रहता है। इस आधार पर इस बहस को रोकना ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आपकी बात आ गई है। जो लेजिस्लेटिव कार्य है, वह सम्पन्न करना है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। बजट है, विनियोग विधेयक है, उत्तर प्रदेश के लिए विनियोग विधेयक है, वह भी पास करेंगे, अनुपूरक मांगे हैं, वह भी पास करनी है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अगर जल्दी से काम निपटाना चाहते हैं तो जल्दी से निपटाएं। जल्दी हो जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री संघप्रिय गौतम : ठीक है।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Mr. Vice-Chairman, Sir, the next item on the List of Business is 'clarifications on the statement by Minister'. I have given a notice in this regard. I have to seek one clarification, and you are bypassing this. It is the supreme body of this nation. If it functions this way, then, what example, we are setting in this country. Where is the Minister?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमाशंकर कौशिक): ऐसा कहने की बात नहीं है। आपने अपनी बात कह दी है। कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। इसमें ऐसी कोई नाराज़गी की बात नहीं होनी चाहिये। ठीक है, आपकी राय है लेकिन भोजन अवकाश के बाद आम तौर से, प्राय: लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है। वह ले लें और उसके बाद फिर स्पष्टीकरण की बात आएगी।

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Jute Manufacturers Cess Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal) : Sir, I would like to seek some clarifications from the hon. Minister, Shri Kashiram Rana. ...*(Interruptions)*...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : महोदय, जब यह तय हो गया है कि बिना डिसकशन के पास होगा तो यह क्या है ...**(व्यवधान)**...प्राब्लम है। जब हाउस ने यह तय कर लिया तो उसके बाद यह क्या है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : देखिए, ऐसा मत कहिए ...**(व्यवधान)**...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, my request would be, either we go by the consensus of the House or anything can be discussed, as long as people want to sit. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA : Sir, we never get a chance to seek the clarifications. Sir, some important clarifications are to be sought, because the cess is collected by the Government in the form of 'jute manufacturers' cess' from the jute manufacturers. The jute manufacturers have voluntarily opted for giving some amount as cess towards the research and development on jute. Now, may I know from the Government, in what areas this money has been spent, or, is being spent during all these years?. Since 1970, this cess is being collected. Now, in what area, this money is being spent? This is one thing that I would like to know. The second thing is this. The primary problem of jute industry, is rating of jute. The rating of jute is a primary problem for developing the quality of jute, and unless we develop the quality of jute, we cannot compete in the international market, because in the international market, the quality is counted, it is very, very important. Now, I have come to know that even Bangladesh is producing better quality of jute. I understand that qualities of jute are graded as T1, T2, T3, T4 and, up to, T7. Now, I understand that only T5, T6 and T7 qualities of jute are being grown in our country. Sir, for not attaining the quality, it is the problem of rating. Now, my question is : Out of the cess collected from jute manufacturers', how much amount has been spent to facilitate better rating of jute in this country? How much amount is being spent to facilitate research and development for developing better quality of jute, as well as, for the better functioning of the IJRA? I came to know that a large amount of money is being spent on attending the international exhibitions. I would like to know whether this is a fact. What is the exact position? The Minister may kindly clarify it. Thank you very much, Sir. I was very brief.

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, so far as the question of cess collection is concerned, I would like to say that the Government wants to modernise the jute mills. The hon. Member has just know mentioned that

the quality of our raw jute is not superior to that of the Bangladesh. Sir, first of all, the Government has decided to launch a new scheme, which is called 'Technology Mission on Jute' just to improve the quality of raw jute. Not only that, Sir, we also want that the import of jute from Bangladesh, whether illegally or legally, the Government wants to check that. So, on the one hand, the Government wants to improve the quality of raw jute and, on the other hand, our jute farmers can also get a remunerative price. This is the first thing. The second thing is that the Government wants to spend this money for modernisation of jute mills. Sir, for a very, very long time, there is no modernisation in jute industry, particularly, jute mills. So, the cess is collected from the jute mills, just to provide export marketing assistance; and to modernise the old mills. So, the purpose of this Bill is purely to improve the quality of raw jute. We also want to modernise the very, very old mills, so that we can compete in the world market, and, our domestic industry could also manufacture good quality of fabric or yarn.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : प्रस्ताव यह है -

"कि जूट विनिर्मित उपकर अधिनियम, 1983 का संशोधन करने वाले विधेयक पर लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए"।

प्रस्ताव पारित हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब हम क्लाज़-वार विचार करेंगे।

क्लाज़ 2 और अनुसूची, विधेयक के अंग बने

क्लाज़ 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक के अंग बने।

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, I move:

That the Bill, as passed by Lok Sabha, be returned.

The question was proposed.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष जी, इससे पहले कि मंत्री जी कुछ कहें, मैं एक आश्वासन जरूर चाहूंगी कि जूट उद्योग, जिसके साथ ढाई करोड़ लोगों की जिन्दगी जुड़ी हुई है और पूर्वी भारत की अर्थ व्यवस्था के साथ जिसका गहरा संबंध है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की कोई समग्र नीति इस विषय में नहीं है और इसके चलते जूट जैसा परंपरागत उद्योग, जो मजदूर बहुल है, लगातार खत्म होता जा रहा है। इस उद्योग की हमारे देश के राजस्व में बड़ी भूमिका थी। इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस उद्योग के लिए एक समग्र नीति अपनायी जाए। जिस जूट उद्योग के आधुनिकीकरण की जरूरत बहुत पहले से थी उसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा रहा है और आज तक सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आधुनिकीकरण का मतलब यह नहीं होता कि वहां मजदूरों की छंटाई कर दी जाए, क्योंकि पहले से ही आप जिस वैश्वीकरण की नीति पर चल रहे हैं, उदारीकरण की नीति पर चल रहे हैं,

ये सारे तथ्य आज इस बात की गवाही देते हैं कि आपका यह वैश्वीकरण, आपका यह उदारीकरण, आपका यह निजीकरण और यहां पर वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, वे तो आंकड़ों के ढेर पर बैठे हुए होंगे, इसलिए वे इस बात को जानते होंगे कि किस तरह बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि पहले तो आप यह आश्वासन दें कि जो आपने सेस बढ़ाया है इसका उपयोग जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। पश्चिमी बंगाल में एन.जे.एम.सी. की जो मिलें हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक मिलें बंद होती जा रही हैं। अत: आप यह गारंटी करें कि मिलें बंद नहीं की जायेंगी, मजदूरों की छंटनी नहीं की जायेगी और जूट उद्योग, जो कि पर्यावरण के लिए इतना लाभदायक है, उस उद्योग को आप बचाने की कोशिश करेंगे और इस विषय में एक समग्र नीति अपनायेंगे।

श्री काशी राम राणा : सर, माननीया सदस्या श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने जो दो प्रश्न उठाए हैं, उसके बारे में मैं कहूंगा कि जहां तक आधुनिकीकरण का सवाल है, उनकी बात सही है, क्योंकि कई सालों से जूट उद्योग, चाहे रॉ जूट के बारे में हो या जूट मिल्ज़ के बारे में हो, उसका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। लेकिन यही सरकार ने सोचा है कि हमारे जूट उगाने वाले जो किसान हैं वे अच्छे किस्म का जूट उगाएं और साथ-साथ जो मिलें हैं, जिनका कई सालों से मॉडर्नाइज़ेशन नहीं हुआ, जिनकी मशीनरी 60-70 साल पुरानी है और कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, इस सेस के जरिए हम उन मिलों के मॉडर्नाइज़ेशन के लिए फंड देंगे। वैसे तो हमने इसमें कोई सुधार नहीं किया लेकिन जो पहले स्पेसेफिक ड्यूटी थी वह एडवेलोरम ड्यूटी हमने कर दी है और वह भी इसीलिए कि इंडस्ट्री की ओर से डिमांड आई थी। तो मैं यह कहूंगा कि आधुनिकीकरण तो भारत सरकार का तय किया हुआ एक संकल्प है और उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जूट की क्वालिटी सुधारने के लिए जो एक टैक्नोलोजी मिशन हम शुरू करने जा रहे हैं इससे हमारे जूट की क्वालिटी सुधरेगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारे जूट के जो किसान हैं, उनको अच्छे दाम भी मिल पायेंगे। साथ-साथ अच्छी क्वालिटी का यदि जूट होगा तो हमारा जो फैब्रिक या यॉर्न होगा वह अच्छी तरह से इस देश की रेक्वायरमेंट को पूरा करेगा और साथ ही इसे विदेश में निर्यात करके हम फॉरेन एक्सचेंज भी दिला सकेंगे। जहां तक एन.जे.एम.सी. का सवाल माननीया सदस्या ने उठाया तो मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार कोई एन.जे.एम.सी. की मिल बंद करने नहीं जा रही है। वैसे तो मिल का घाटा हर साल होता रहता है, कहीं पर 90 करोड़, कहीं पर सौ करोड़ का घाटा हर साल होता रहता है। हमें उस समस्या से मार्ग निकालना है। इसीलिए हमने मार्ग निकाला है कि ये जूट मिल इस कंडीशन पर किसी को दें कि 10 साल तक हमारे जूट वर्कर्स को रोजगार मिले और साथ-ही-साथ सरकार का घाटा भी न हो। इस तरह से हम मिल चलाने की दिशा में आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इससे मिलों का आधुनिकीकरण होगा और जो 90 करोड़ का घाटा है, उससे भी सरकार बचेगी और लोगों का पैसा बचेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि यह बिल जूट इंडस्ट्रीज की भलाई के लिए है, जूट किसानों की भलाई के लिए रखा गया है। मैं चाहूंगा कि यह सभा इसे सर्वानुमति से पास करे।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : प्रस्ताव यह है,

"कि विधेयक को जो लोक सभा से पारित हुआ है, लौटाया जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मुझे कुछ बातें कहनी हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय सरला जी, आप आसन ग्रहण करें।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, I have just one point. (*Interruptions*). Just one point. There is one State, which happens to be the State which I represent in this House, Goa, where the Assembly has been dissolved about a month ago. The Budget is to be passed for that State. There is no money. Now, it is the responsibility of Parliament to provide for the finances of that State. It is the responsibility of the Government of India, more specifically, of the Finance Minister, to initiate the process so that Parliament may allocate the money from the Consolidated Fund for the State of Goa, inasmuch as the Assembly has been dissolved. How does the Minister intend to deal with the situation?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : वैसे यह बात सही है कि आम बजट पर चर्चा अधूरी रह गयी थी, परंतु समय का अभाव रहा और कुछ काम भी ऐसे रहे। अब विनियोग विधेयकों का पारित करना जरूरी है और यह सब लोगों से बात भी हुई थी कि हम लोग अब विधेयक पर ही चर्चा कर लें और उसी में थोड़ी बहुत बात अगर किसी को कहनी है तो वह कह लेंगे। अब माननीय मंत्री जी तीनों विनियोग विधेयक एक साथ कर देंगे। उसके बाद चर्चा हो जाएगी। तो इस में सदन की सहमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां है।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, I would just like to have a response from the Minister on my point.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, my request would be this. If every Member has a point, it is difficult. You either discuss it or leave it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Sir, it is not fair. Almost all the major parties had indicated their views. I am from the smaller groups. (*Interruptions*). Almost the entire House devoted time for Ayodhya. But, on basic issues like the Railway Budget, this Bill and everything that matters, there is no time for discussion! The Government also escapes. (*Interruptions*).

SHRI EDUARDO FALEIRO: Lakhs of crores of rupees are being given to the Government without any discussion! Is this Parliament or is this some sort of a rubber stamp? (*Interruptions*).

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष जी, अभी महिलाओं का तो कोई पक्ष आया ही नहीं है और सारे बजट पर चर्चा हो गयी, लेकिन महिलाएं नदारद हैं जैसे कि अर्थ-व्यवस्था से उनका कोई लेना-देना ही नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रघु शंकर कौशिक): मैंने आप से निवेदन किया कि यह बात सही है कि बजट पर चर्चा अधूरी रही है। इसके लिए जितना समय निर्धारित किया गया था, समय उतना ही लगा लेकिन फिर भी कई माननीय सदस्य अपनी बात कहने से रह गए। अभी विनियोग विधेयक आ रहे हैं, आप इस संबंध में अपने विचार उसके ऊपर रखिए और फिर मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2002

THE APPROPRIATION BILL, 2002 AND

THE APPROPRIATION (NO.2) BILL, 2002

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to move:

> That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2002-2003, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

> That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2001-2002, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also beg to move:

> That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1999, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The questions were proposed.